



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2009/पौष 3, 1931

No. 252] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2009/PAUSA 3, 1931

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2009

सं. एल-7/139(159)/2008.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79(1)(ग) तथा 178(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निर्मिन् सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

अध्याय-1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वास्तविक समय प्रचालन में संकुलन अवमुक्ति के उपाय) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी)" से विनिर्दिष्ट परिचालन में अनुसूचित वाणिज्यिक संव्यवहारों (दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच) के लिए उपलब्ध अंतर-नियंत्रण क्षेत्र पारेषण प्रणाली की नेटवर्क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अंतरण क्षमता अभिप्रेत है। गणितीय रूप से एटीसी कुल अंतरण क्षमता ऋण पारेषण विश्वसनीयता मार्जिन है;

- (ख) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 76 में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;
- (ग) "संकुलन" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जहां पारेषण क्षमता के लिए मांग उपलब्ध पारेषण क्षमता से अधिक हो जाती है ;
- (घ) "संकुलन प्रभार" से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक या प्रदेश के भीतर एक राज्य से दूसरे राज्य तक ऊर्जा के पारेषण के लिए एक या अधिक प्रादेशिक इकाईयों में लगाए गए अनुपूरक प्रभार अभिप्रेत हैं जब अनुसूची में फेरफार कुल अंतरण क्षमता सीमा के बाद अंतर-प्रादेशिक या अंतरा-प्रादेशिक पारेषण लिंकों में ऊर्जा की कुल निकासी की जाती है ;
- (ङ) "नियंत्रण क्षेत्र" से अंतर-संयोजनों (टाई लाइन), मीटरिंग तथा दूरमिति द्वारा परिबद्ध ऐसी विद्युत प्रणाली अभिप्रेत है जहां उसका नियंत्रण अन्य नियंत्रण क्षेत्रों के साथ उसकी विनियम अनुसूची को बनाए रखने के लिए उसके उत्पादन और/या भार पर होता है, जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह समकालिक रूप से प्रचालन प्रणाली की फ्रिक्वेंसी विनियमन में सहायता करता है ;
- (च) "विश्वसनीय परिस्थिति" से घटित होने वाली ऐसी आकस्मिकता अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अंतर-नियंत्रण क्षेत्र पारेषण प्रणाली की कुल अंतरण क्षमता पर पड़ता है ;
- (छ) "प्रादेशिक इकाई" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिनकी मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है ;
- (ज) "पारेषण विश्वस्तता मार्जिन (टीआरएम)" से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कुल अंतरण क्षमता में रखे गए मार्जिन की रकम अभिप्रेत है जिससे प्रणाली की स्थिति में अनिश्चितता की युक्तियुक्त पहुंच को सुरक्षित रखा जा सके ;
- (झ) "कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी)" से ऐसी विद्युत ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है जिसे बहुत खराब विश्वसनीय परिस्थिति होने पर नियत प्रचालन

स्थिति के अंतर्गत अंतर-नियंत्रण क्षेत्र पारेषण प्रणाली पर विश्वस्तता को अंतरित किया जा सकता है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

अध्याय - 2 : संकुलन अवमुक्ति के उपाय

3. कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी), उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) तथा पारेषण विश्वस्तता मार्जिन (टीआरएम) की संगणना

- (1) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों के परामर्श से अंतर-प्रादेशिक लिंकों/कासीडोरों की कुल अंतरण क्षमता, उपलब्ध अंतरण क्षमता तथा पारेषण विश्वस्तता मार्जिन (टीआरएम) का निर्धारण करेगा तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा अन्य संबंधित विषय) विनियम, 2009 में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) द्वारा घोषित टीटीसी, एटीसी तथा टीआरएम का, यदि आवश्यक हो, पुनरीक्षण करेगा।
- (2) संगणनाओं, जिसमें पूर्वानुमान, यदि कोई हों, भी हैं, के आधार के ब्यौरे के साथ टीटीसी, एटीसी तथा टीआरएम को एनएलडीसी तथा आरएलडीसी की वेबसाइट पर कम से कम तीन मास अग्रिम में डाला जाएगा। अध्ययन द्वारा जानकारी में आए विनिर्दिष्ट अवरोधों को भी वेबसाइट पर डाला जाएगा।
- (3) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र प्रदेश के भीतर व्यक्ति नियंत्रण क्षेत्रों की कुल अंतरण क्षमता, उपलब्ध अंतरण क्षमता तथा प्रादेशिक विश्वस्तता मार्जिन का, यदि अपेक्षित हो, निर्धारण करेगा तथा उन्हें अपने-अपने आरएलडीसी की वेबसाइट पर, संगणनाओं के आधार के ब्यौरे के साथ, जिसमें पूर्वानुमान, यदि कोई हों, भी है, तीन मास पहले डालेगा। अध्ययन द्वारा जानकारी में आए विनिर्दिष्ट अवरोधों को भी वेबसाइट पर डाला जाएगा:

परंतु यह और कि एनएलडीसी, अपनी प्रणाली के टीसीसी का अवधारण करने के लिए, पीक तथा आफ-पीक के लिए गर्मी, बरसात, सर्दी तथा सर्दी से पूर्व/सर्दी के बाद (जब संपूर्ण भारत में मांग कम हो जाती है) के लिए पारेषण प्रणाली विश्वस्तता अध्ययन करेगा। उपस्कर लोडिंग, वोल्तता स्थायित्व तथा अस्थायी अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए बेहद खराब विश्वसनीय परिस्थिति का अध्ययन करेगा:

परंतु यह और कि राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) और/या संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) प्रणाली की स्थिति में परिवर्तन के कारण टीटीसी, एटीसी तथा टीआरएम को पुनरीक्षित कर सकेंगे जिसमें अध्ययन में किसी भी प्रकार के नोड्स पर नेटवर्क टोपोलाजी में परिवर्तन या प्रत्याशित सक्रिय या रिएक्टिव उत्पादन या पारेषण लाइनों में परिवर्तन, भी सम्मिलित है। ऐसे पुनरीक्षण में उसके कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। टीटीसी, एटीसी तथा टीआरएम को उस समय प्रत्याशित प्रणाली की प्रस्थिति पर निर्भर करते हुए, आगे के दिन के आधार पर पुनः पुनरीक्षित किया जा सकेगा:

परंतु यह भी कि जब वास्तविक-समय क्षेत्र मापमान के लिए एनएलडीसी तथा आरएलडीसी को फेजर मापमान यूनिटों जैसी अग्रिम मापमान तकनीकी उपलब्ध हो जाती है तब इन मापमानों से अनुमिति का उपयुक्त रूप से उपयोग कुल अंतरण क्षमता के निर्धारण के लिए किया जाएगा।

4. संकुलन प्रभारों का लागू होना

- (1) वास्तविक समय में संकुलन अवमुक्ति के लिए, संकुलन प्रभार वाणिज्यिक मानदंडों के रूप में लागू होंगे। संकुलन प्रभार अंतर-प्रादेशिक लिक या अंतरा-प्रादेशिक लिकों में संकुलन करने वाली प्रादेशिक इकाई या इकाईयों द्वारा संदेय होंगे तथा अवमुक्त संकुलन करने वाली प्रादेशिक इकाई या इकाईयों द्वारा प्राप्त होंगे।
- (2) संकुलन प्रभार किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों में संकुलन करने वाली किसी प्रादेशिक इकाई या इकाईयों पर अधिरोपित किया जा सकेगा तथा इन विनियमों के अधीन एनएलडीसी द्वारा विरचित तथा आयोग द्वारा अनुमोदित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार संकुलन अवमुक्ति करने के लिए किसी क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी प्रादेशिक इकाई या इकाईयों को संदत्त किए जा सकेंगे।

- (3) संकुलन प्रभार अननुसूचित विनियम प्रभारों के अतिरिक्त अधिक निकासी करने वाली प्रादेशिक इकाई द्वारा संदेय होंगे जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनियम प्रभार तथा अन्य सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 या उसकी किसी अधिनियमिति के अनुसार संदेय होंगे।

5. संकुलन प्रभार की दर

आयोग, समय-समय पर, आदेश द्वारा संपूर्ण क्षेत्र या उसके भाग को लागू संकुलन प्रभार की दर को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

6. संकुलन प्रभार के आवेदन के लिए नोटिस

जब राष्ट्रीय प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में विद्युत के अंतरण के लिए प्रयुक्त अंतर-प्रादेशिक/अंतरा-प्रादेशिक कारीडोर/लैंक पर विद्युत का प्रवाह ऐसे कारीडोर/लैंक के एटीसी के बाहर हो रहा है तो एनएलडीसी/आरएलडीसी व्यतिक्रम करने वाली इकाईयों को चेतावनी सूचना जारी करेगा। यदि अंतर-प्रादेशिक/अंतरा-प्रादेशिक कारीडोर/लैंक पर विद्युत का प्रवाह टीटीसी से अधिक होता है तब एनएलडीसी/आरएलडीसी फ़ैक्स/वाक् संदेश के माध्यम से तथा अपनी वेबसाइट पर डालकर तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध सामान्य स्क्रीन के माध्यम से नोटिस देने के पश्चात् विनियम 4 के अनुसार विशिष्ट समय-ब्लॉक से व्यतिक्रम करने वाली इकाईयों पर संकुलन प्रभार लागू करने का विनिश्चय कर सकेगा:

परंतु कम से कम दो स्पष्ट समय-ब्लॉकों की सूचना प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रभार लागू होने से पूर्व, दी जाएगी, जिसकी गणना उस समय-ब्लॉक में नहीं की जाएगी जिसमें नोटिस जारी किया जाता है।

7. संकुलन प्रभार के प्रत्याहरण के लिए नोटिस

जब राष्ट्रीय/प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की राय में, एटीसी के लिए प्रभावित पारेषण लैंक/कारीडोर पर विद्युत का प्रवाह कम हो गया है तो वह फ़ैक्स/वाक् संदेश के माध्यम से और अपनी वेबसाइट तथा ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध सामान्य स्क्रीन के माध्यम से किसी एक विशिष्ट समय-ब्लॉक से संकुलन प्रभार को वापस ले सकेगा :

परंतु यह कि संकुलन प्रभार वापस लेने से पूर्व प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा एक समय-ब्लॉक का नोटिस दिया जाएगा, जिसमें उस समय-ब्लॉक की गणना नहीं की जाएगी जिसमें नोटिस जारी किया जाता है।

अध्याय - 3 : संकुलन प्रभार लेखा

8. संकुलन प्रभार लेखा

- (1) प्रत्येक प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र "संकुलन प्रभार लेखा" नामक एक पृथक् बैंक खाता रखेगा जिसमें संकुलन प्रभार के मद्दे प्राप्त सारी रकम को जमा किया जाएगा। संकुलन प्रभार खाते में जमा रकम, यदि कोई हो, को आयोग द्वारा अधिसूचित पद्धति के अनुसार नियमित अंतरालों पर निधि में अंतरित किया जाएगा।
- (2) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा संकुलन प्रभार खाते को उस रीति में बनाए तथा प्रचालित किया जाता है जिस रीति से अननुसूचित अंतर-विनिमय प्रभारों के खाते को बनाए तथा प्रचालित किया जाता है:

परंतु यह कि संकुलन प्रभार खाते को किसी ऐसी अन्य इकाई द्वारा बनाए रखा जा सकेगा जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निदेश दिया जाए।

- (3) आयोग संकुलन प्रभारों में से संचित निधि के अनुस्क्षण तथा प्रचालन के बारे में पृथक् रूप से प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा।

अध्याय - 4 : संकुलन प्रभार का संदाय तथा उपयोग

9. संकुलन प्रभार का विवरण

संकुलन प्रभार के संदाय तथा संवितरण का विवरण प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सचिवालय द्वारा अननुसूचित विनिमय प्रभार के विवरण के साथ साप्ताहिक आधार पर जारी

किया जाएगा । संगृहीत तथा संवितरित संकुलन प्रभार संबंधी मासिक रिपोर्ट को प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों द्वारा आयोग को दिया जाएगा ।

10. संकुलन प्रभार लेखा को संदाय : संकुलन प्रभार का संदाय करने के लिए दायी प्रादेशिक इकाई प्रादेशिक ऊर्जा समिति सचिवालय द्वारा विवरण के जारी करने के 10 दिन के भीतर संकुलन प्रभार लेखा में रकम जमा करेगी:

परंतु यह कि जब संकुलन प्रभार का संदाय, देय तारीख से दो दिन बाद अर्थात् प्रादेशिक ऊर्जा समिति सचिवालय द्वारा विवरण के जारी करने के बारह दिन बाद किया जाता है तब संकुलन प्रभार जमा करने में विलंब के लिए जिम्मेदार प्रादेशिक इकाई प्रतिदिन 0.04% की दर पर ब्याज का संदाय करेगी ।

11. संकुलन प्रभार रकम का निर्मोचन : प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र संकुलन प्रभार संदाय की प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के भीतर, संकुलन प्रभार के संदाय में विलंब के कारण संकुलन प्रभार, ब्याज सहित यदि कोई हो, प्राप्त करने की हकदार प्रादेशिक इकाई को संदेय रकम को निर्मोचित करेगा ।

12. संकुलन प्रभार का उपयोग : विनियम 8 में उल्लिखित खाते में संघटकों से संगृहीत संकुलन प्रभार की असंवितरित रकम का उपयोग संकुलन अवमुक्ति के लिए आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा, जिसमें विनियम 8 के अधीन अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार अंतर-प्रादेशिक लिंकों के बेहतर के उपयोग, विशेष संरक्षा स्कीमों का संस्थापन, शंट कैपिसिटर्स आदि का अधिष्ठापन करने के लिए विनिर्दिष्ट प्रणाली अध्ययन करना भी सम्मिलित है :

परंतु यह कि प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र/निधियों के अनुरक्षण तथा प्रचालन के कार्य को करने वाली अन्य इकाई छह मासिक आधार पर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें असंवितरित रकम तथा उसके उपयोग के ब्यौरे होंगे ।

13. विवाद निवारण तंत्र : इस अधिनियम के अधीन उद्भूत सभी विवादों का विनिश्चय आयोग द्वारा व्यथित पक्षकार द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 1999 या उसकी किसी अधिनियमिति के अनुसार किए गए आवेदन के आधार पर किया जाएगा ।

14. शिथिल करने की शक्ति : आयोग, आदेश द्वारा, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए तथा प्रभावित होने वाले पक्षकार को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, स्व:प्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन के आधार पर इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

आलोक कुमार, सचिव
[विज्ञापन III/4/150/2009 असा.]